न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –129/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर –2024/149

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्री जेठाराम पुत्र श्रीराम,जाति–नायक निवासी–झुझण्डा, तहसील –मूण्डवां जिला–नागौर, राजस्थान।		राजस्थान सरकार जरिये 1–तहसीलदार,मूण्डवा 2–हल्का पटवारी पटवार मण्डल, झुझण्डा, तहसील–मूण्डवा।

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री श्यामकुमार व्यास।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां ।

:: निर्णय :: दिनांक :– 22.01.2025

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार,मूण्डवां द्वारा प्रकरण संख्या 199/2023 अनवान सरकार बनाम जेठाराम में पारित निर्णय दिनांक 06.06.2024 से असंतुष्ट होकर दिनांक 08.07.2024 को प्रस्तुत की हैं। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलांट का दोराने बहस कथन हैं कि पटवारी हल्का झुझण्डा ने भू अभिलेख निरीक्षक,खजवाना से सत्यापित एक रिपोर्ट पेश की हैं कि अप्रार्थी जेठाराम ने मौजा राजस्व ग्राम झुझण्डा के खसरा नम्बर 180 किस्म गै0मु0 अंगोर रकबा 0.16 हैं0 भूमि पर सम्वत् 2080 में गैर विधिक तरीके से बाड़ा बनाकर कब्जा किया हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायलय द्वारा हमारे विरूद्व प्रकरण दर्ज कर हमें सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जाने पर हमारे द्वारा नियुक्त अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.03.2024 को आवेदन पेश कर यह निवेदन किया गया था कि गैर सायल द्वारा किसी प्रकार का बाड़ा कर अतिक्रमण नहीं किया गया हैं। मौके पर प्रश्नगत खसरे के समीप चामुण्डा माता का मंदिर निर्मित हैं,जिसका एक द्वार प्रश्नगत खसरे में खुलता हैं। उक्त मंदिर में दर्शनार्थ आने वाले दर्शनार्थियों के लिए सार्वजनिक शौचालय,स्नानघर एवं पशुओं के चरने हेतु ठाण बने हुए हैं तथा उनका सार्वजनिक उपयोग किया जा रहा हैं। अप्रार्थी का प्रश्नगत खसरे की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं हैं। हमारे द्वारा पेश किये गये इस आवेदन–पत्र पर पटवारी हल्का से जॉच रिपोर्ट मांगी जाने पर जॉच रिपोर्ट दिनांक 05.06.2024 को पेश हुई जिसमें पटवारी हल्का ने यह स्पष्ट लिखा हैं कि मौके पर अपीलांट का कोई व्यक्तिगत अतिक्रमण नहीं हैं। पटवारी हल्का की इस रिपोर्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज करते हुवे बिना किसी आधार के अपीलांट को विवादित भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

विद्वान वकील का यह भी तर्क रहा कि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट की ओर से कुल 18 व्यक्तियों के शपथ–पत्र पेश किये गये,जिन्होंने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि विवादित भूमि पर जो शौचालय व बाथरूम बने हुए हैं वह सार्वजनिक उपयोग के लिए व मंदिर के आने जाने वाले दर्शनार्थियों के लिए बने हुए हैं। इन शपथ–पत्रों का हल्का पटवारी की ओर से किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि पर अपीलांट का व्यक्तिगत अतिक्रमण होना सबित नहीं होते हुवे भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व यह निर्णय पारित किया हैं। इस प्रकरण में हमें सुनवाई का पर्याप्त समय नहीं दिया गया हैं एवं न ही प्रकरण में पटवारी हल्का एवं भू0अभिलेख निरीक्षक के बयान दर्ज करवाये गये हैं। इस प्रकरण पर हमारी बहस सुने बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया जो विधि विरूद्व/त्रुटि पूर्ण होने से निर्णय काबिल खारिज के हैं। इसलिए निवेदन हैं कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्याायलय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

राजेरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां का बहस में तर्क हैं कि प्रश्नगत आराजी गै0मु0 अंगोर की भूमि हैं,इसलिए इस भूमि पर किये गये अतिचार के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुवे गैर सायल को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुवे अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया हैं,जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का झुझण्डा एवं भू0अभिलेख निरीक्षक,खजवाना ने तहसीलदार,मूण्डवा को इस आशय की रिपोर्ट पेश की हैं कि श्री जेठाराम पुत्र श्रीराम,जाति–नायक निवासी झूझण्डा तहसील मूण्डवां ने ग्राम झूझण्डा के खसरा नम्बर 180 रकबा 0.16 है0 किस्म गै0मु0 अंगोर पर सम्वत् 2080 से अनाधिकृत कब्जा बाड़ा करके कर रखा हैं। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिऐ नोटिस तलब किया गया हैं। गैर सायल ने जरिऐ अधिवक्ता दिनांक 15.03.2024 को प्रार्थना–पत्र पेश कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि गैर सायल का खसरा नम्बर 180 पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं हैं। खसरा नम्बर 173 में जो चामुण्डा माता का मन्दिर बना हुआ हैं उस मन्दिर में वर्ष में दो बार नवरात्रि में मेला लगता हैं तथा उक्त मेले में हजारों दर्शनार्थी इस मन्दिर में दर्शन हेतु आते हैं तथा सैकड़ों लोग नवरात्रि के नौ दिन में वहीं मन्दिर परिसर में रात्रि विश्राम करते हैं,चूंकि मन्दिर परिसर में उक्त दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु शौचालय वगैरह का निर्माण धार्मिक भावनाओं के अनुसार सही नहीं होने से सार्वजनिक शौचालय व स्नान घर का निर्माण सार्वजनिक उपयोग हेतु खसरा नम्बर 180 में करवाया गया हैं परन्तु पटवारी हल्का ने उक्त टी.पी. रिपोर्ट में इन तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया हैं,इसलिए इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी स्वयं या अन्य किसी राजस्व अधिकारी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौके की वास्तविक व सही स्थिति रेकार्ड पर मंगवाई जावें।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वकील गैर सायल के इस आवेदन को अपने आदेश दिनांक 19.03.2024 से स्वीकार कर प्रकरण में प्रश्नगत खसरे की वास्तविक भौतिक स्थिति/वस्तुस्थिति रिपोर्ट पेश करने हेतु पटवारी हल्का को आदेशित किया गया हैं। इस आदेश की पालना में पटवारी

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

हल्का,झूझण्डा द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 05.06.2024 को बनायी हैं,जिसमें यह अंकन किया हैं कि खसरा नम्बर 180 किस्म गै0मु0 अंगोर के विचाराधीन प्रकरण संख्या 199/23 अन्वान सरकार/जेठाराम का खसरा नम्बर 180 पर वर्तमान में अतिक्रमण पाया गया खसरा नम्बर 180 में मन्दिर बना हुआ हैं,जो कि धार्मिक आस्था से सम्बन्धी हैं एक शौचालय व बाथरूम बना हैं जो कि मन्दिर में आने–जाने वाले लोगों द्वारा इस्तमाल किया जाता।

इस प्रकार पटवारी हल्का की इस रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता हैं कि धार्मिक आस्था के लिए मन्दिर में आने वाले जातरू के लिए एक शौचालय व बाथरूम बना हुआ हैं,जबकि पटवारी हल्का ने मूल टी0पी0 रिपोर्ट में केवल मात्र बाड़ा गैर सायल द्वारा कर अतिक्रमण होना बताया हैं। जब धार्मिक आस्था के लिए शौचालय व बाथरूम बने हैं तो अपीलांट के विरूद्व यह कार्यवाही क्यों प्रस्तावित की गई का कोई खुलासा न तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में किया हैं एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में उसका खुलासा किया गया हैं। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत टी0पी0 रिपोर्ट एवं दिनांक 05.06.2024 को बनायी गई मौका रिपोर्ट दोनों विरोधाभाष हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गवाहों के शपथ–पत्रों के तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण जॉच करवाये बिना ही अपीलांट को प्रश्नगत भूमि पर अतिचार घोषित किया हैं,जो विधिक कार्यवाही नहीं हैं। हॉलाकि यह सही हैं कि गै0मु0 अंगोर की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण वर्जित हैं,परन्तु अधीनस्थ न्यायालय को यह साबित करना होगा कि अतिक्रमण किसका एवं किस प्रकार का हैं,उसी अनुसार आगामी न्यायिक कार्यवाही की जानी हैं परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय में इस कार्यवाही का अभाव पाया गया हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.06.2024 को खारिज किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार,मूण्डवां को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि प्रकरण में विरोधाभाषी तथ्यों की जांच करवायी जाकर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुवे प्रकरण में विधिवत् निर्णय पारित किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय को मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित निर्णय की पालना हेतु लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 22.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर
नागौर

कलक्टर नागौर